सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या– 561
**07/08/2018**

# पीआईओ के ईमानदार प्रयास के चलते आर्थिक दण्ड माफ

पटना, 07 अगस्त 2018 :– राज्य सूचना आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार राज्य सूचना आयुक्त श्री बी0के0 वर्मा द्वारा वाद संख्या–81064/12–13 के मामले में पूर्व में लगाये गए आर्थिक दण्ड पर पुनर्विचार करते हुए सुनवाई की गयी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार सूचना आयुक्त ने वादी एवं प्रतिवादी की उपस्थिति में ही इस मामले की सुनवाई की। इस मामले में आवेदक श्री कपिलेश्वर यादव ने इस बात की पुष्टि की कि उन्हें सूचना प्राप्त हो गई है।

ज्ञातव्य है कि उक्त मामले में प्रथम अपीलीय प्राधिकार–सह–स्वास्थ्य सचिव का कार्यालय, बिहार, पटना/लोक सूचना पदाधिकारी, स्वास्थ्य सचिव, बिहार से जुड़ा हुआ था। इस मामले में श्री जगदीश कुमार, लोक सूचना पदाधिकारी–सह–विशेष कार्य पदाधिकारी, स्वास्थ्य ने अपने स्तर से विशेष प्रयास कर आवेदक को सूचना उपलब्ध करायी थी। किन्तु हॉलकि अर्थदण्ड आयोग द्वारा दूसरे पीआईओ के क्रम में ही लगा दिया गया था, जिसमें वर्तमान लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा आवेदक को सूचना देकर पुनर्विचार हेतु आवेदन दिया गया।

उपर्युक्त तथ्यों एवं श्री जगदीश कुमार, लोक सूचना पदाधिकारी के ईमानदार प्रयास को दृष्टिगत करते हुए सूचना आयुक्त द्वारा विशेष परिस्थिति का आकलन करते हुए अर्थदण्ड को वापस लेते हुए वाद की कार्रवाई को समाप्त कर दिया है।

******